## **INFORMATION**

women/female employee aggrieved of harassment at workplace by any employee of Sessions Division Jhajjar may make complaint in writing to the Internal Complaint Committee already constituted in compliance of the letter No.564 Spl.II/L.80(a) dated 03.07.2018 of the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana, Chandigarh and in the wake of mandate of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. On receipt of of report the said Committee, further. disciplinary action/proceedings against the erring employee shall be initiated in view of the provisions contained in Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Government Employee Conduct) Rules, 2016 and the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

> District & Sessions Judge, Jhajjar.

कोई भी महिला कर्म्बारी, जो सत्र संभाग झज्जर के किसी भी कर्मचारी द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से पीड़ित है वह माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के पत्र संख्या 564 Spl.II/L.80(a) दिनांक 03.07.2018 एव धारा 4 के जनादेश के मद्देनजर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में पहले से गठित आंतरिक शिकायत समिति को लिखित रूप में शिकायत कर सकती है! उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारी के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण), नियम, 2016 में निहित प्रावधान और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

जिला एवं सत्र न्यायधीश झज्जर